झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–626 वर्ष 2017

विजय भुइयां .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद द्वारा सी0एम0डी0, धनबाद

2. महाप्रबंधक, क्षेत्र संख्या–IV, कटरा, धनबाद

3. कार्मिक प्रबंधक, क्षेत्र संख्या–IV, कटरा, धनबाद

4. परियोजना अधिकारी, पूर्वी कटरा कोलियरी, धनबाद

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री संजय कु0 सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री अजय कु0 साह, अधिवक्ता

5/30.01.2019 याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता ने इस रिट एप्लिकेशन में अपने पिता स्वर्गीय जानकी भुइयां की मृत्यु के कारण उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रार्थना की है, जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी0सी0सी0एल0) में सामान्य मजदूर के रूप में कार्यरत थे और दिनांक 24.11.1995 को उनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो गई।

यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया था, लेकिन नियुक्ति उसे नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, मामला अभी भी उत्तरदाताओं के समक्ष लंबित है और उसके आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि माना जाता है कि मृत्यु दिनांक 24.11.1995 को हुई थी। वह आगे कहते हैं कि 23 से अधिक साल बीत चुके हैं और 23 साल का लंबा वक्त बीतने के बाद, कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। समय बीतने के साथ मृत कर्मचारी का परिवार लंबे समय तक जीवन यापन करता रहा है और इस प्रकार, अनुकंपा नियुक्ति देने का मूल उद्देश्य कम हो गया है और उद्देश्य समाप्त हो गया है।

पार्टियों को सुनने के बाद, मैनें पाया कि मृत कर्मचारी की मृत्यु वर्ष 1995 के नवम्बर महीने में हुई थी और 23 साल की मृत्यु के बाद, यह न्यायालय उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि समय बीतने के साथ अचानक संकट से परिवार गुजर गया है। इस प्रकार, इस रिट एप्लिकेशन में याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। तद्नुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(श्री आनंदा सेन, न्याया0)